



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग (चमोली)।
Office of the Executive Engineer, P.D, P.W.D. Karanprayag



E-Mail: eepdpwdkpg@gmail.com

पत्रांक 2469 / 10एल.ए.
सेवा में,

दिनांक 05 / 12 / 2024

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग,
गोपेश्वर।
विषय:- जनपद चमोली में मा. मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट के अन्तर्गत नन्दप्रयाग-घाट मोटर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण हेतु 9.053 है. वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।
सन्दर्भ:- जिलाधिकारी चमोली का पत्रांक 1405/छब्बीस-एल.ए.सी. (2024-2025)
दिनांक 25.11.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो आपको एवं इस कार्यालय को सम्बोधित है के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विषय वर्णित प्रकरण में आपके द्वारा अपने पत्र संख्या 1040/12-1 दिनांक 30.08.2024 द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल का जिलाधिकारी द्वारा वन विभाग के नाम नामान्तरण/हस्तान्तरण के स्वीकृति आदेश में सिविल क्षेत्र का रकवा कितना है तथा उसमें से कितना क्षेत्र वन विभाग के पक्ष में दाखिल खारिज किया जा रहा है तथा यह क्षेत्र पूर्व में किसी अन्य योजना के अन्तर्गत अथवा वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत पूर्व में गठित प्रस्ताव में नहीं दिया गया हो, को इंगित करते हुये प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है। जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय चमोली के सन्दर्भित पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्र में वर्णित चयनित भूमि का पूर्व में किसी अन्य योजनान्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत पूर्व में गठित प्रस्ताव में नहीं दिया गया है से सूचित करते हुये प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अवगत कराने हेतु लिखा गया है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रदत्त पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्र पर अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करते हुये जिलाधिकारी महोदय चमोली एवं इस कार्यालय को अवगत कराने की कृपा करें।

भवदीय

(इं. नवीन लाल वर्मा)

अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि.,

कर्णप्रयाग।

पत्रांक / 10एल.ए.

दिनांक / / 2024

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी चमोली को उक्त के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियन्ता, सातवाँ वृत्त, लो.नि.वि., गोपेश्वर को उक्त के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- उपजिलाधिकारी चमोली को उनके पत्रांक 69/एस.पी.ए.-विधि (2024-2025) दिनांक 11-11-2024 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.,
कर्णप्रयाग।

संख्या-
सेवा में,

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

1405/छब्बीस-एल0ए0सी0 (2024-2025) दिनांक गोपेश्वर 25 नवम्बर 2024

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।

अधिशाली अभियंता

✓ प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग,
कर्णप्रयाग।

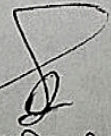
विषय-

जनपद चमोली में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट के अंतर्गत नन्दप्रयाग-घाट मोटर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण हेतु 9.053 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग के प्रत्यावर्तन करने विषयक।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक उप जिलाधिकारी चमोली के कार्यालय पत्र संख्या-69/एस0पी0ए0-विविध (2024-25) दिनांक 11.11.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद चमोली में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट के अंतर्गत नन्दप्रयाग-घाट मोटर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण हेतु 9.053 है0 उक्त चयनित भूमि का पूर्व में अन्य योजनान्तर्गत अथवा वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत पूर्व में गठित प्रस्ताव में नहीं दिया गया है।

अतएव संदर्भित पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि उक्त प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत-कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।
संलग्न-यथोपरि।


प्रभारी अधिकारी
कृते-जिलाधिकारी चमोली।

वन भूमि

3/12/24

मंजूर

3/12/24

पत्र संख्या (1) को पत्राचार कार्यालय
एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवित,

3/12/24
3/12

ERK N-643

20/11/2024

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी
चमोली ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चमोली ।

09/14/25

4 DM(C)
13-11-24

संख्या:- 69 / एस0पी0ए0-विविध (2024-2025) चमोली दिनांक 11 नवम्बर, 2024

विषय:- जनपद चमोली में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट के अन्तर्गत नन्दप्रयाग-घाट मोटर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण हेतु 9.053 है0 वनभूमि का गैर. वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग कर्णप्रयाग के कार्यालय पत्र संख्या-2236/10एल0ए0 दिनांक 18.09.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो इस कार्यालय को सम्बोधित तथा महोदय को पृष्ठांकित है।

उक्त के सम्बन्ध में नायब तहसीलदार घाट द्वारा अपने पत्र संख्या 31/र0का0-क्षतिपूरक वृक्षा0 (2023-2024) दिनांक 07 नवम्बर, 2024 से निम्नवत् आख्या प्रेषित की गयी है:-

1-रा0उ0नि0 बूरा की आख्यानुसार अवगत कराया गया है कि नन्दप्रयाग-घाट मोटर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण से प्रभावित होने वाली 9.053 है0 वनभूमि के एवज में ग्राम जोखना रा0उ0नि0 बूरा तहसील घाट की ख0खा0सं0- 5 के खसरा संख्या-807 रकवा 26.569 है0 मध्ये 10.942 है0 भूमि वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण किया गया है। उक्त भूमि नॉन जेडए श्रेणी-9(3)ड की है तथा उक्त भूमि पूर्व में अन्य योजनान्तर्गत अथवा वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत पूर्व में गठित प्रस्ताव में नहीं दिया गया है।

2- इसी प्रकार राजस्व उपनिरीक्षक मोख अपनी जांच आख्या से अवगत कराया है कि नन्दप्रयाग-घाट मोटर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण से प्रभावित होने वाली 9.053 है0 वनभूमि के एवज में ग्राम चमतोली चक बांसवाड़ा, रा0उ0नि0 मोख, तहसील घाट की ख0खा0सं0-4 के खसरा संख्या-300 रकवा 0.688 है0 भूमि मध्ये 0.641 है0, खसरा संख्या-319 रकवा 0.268 है0 भूमि मध्ये 0.0201 है0, खसरा सं0 320 रकवा 0.162 है0 भूमि मध्ये 0.141 है0 खसरा संख्या 323 रकवा 0.703 है0 कुल 1.686 है0 भूमि उक्त भूमि नॉन जेडए श्रेणी-9(3) ड की है एवं ग्राम चमतोली चक बांसवाड़ा की ख0खा0सं0-17 के खसरा सं0 322 रकवा 1.016 है0 भूमि मध्ये 0.478 है0 भूमि वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण किया गया है। उक्त भूमि नॉन जेडए श्रेणी-9(4) ड की है तथा उक्त भूमि में पूर्व में अन्य योजनान्तर्गत अथवा वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत पूर्व में गठित प्रस्ताव में नहीं दिया गया है।

अतएव नायब तहसीलदार घाट से प्राप्त जांच आख्या मय संलग्न रा0उ0नि0 मोख तथा रा0उ0नि0 बूरा द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न कर अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न-यथोपारि।

(राजकुमार पाण्डेय)
उपजिलाधिकारी,
चमोली।

प्रमाण पत्र

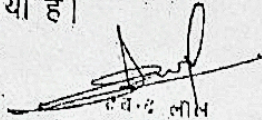
यह प्रमाणित किया जाता है कि नन्दप्रयाग-घाट मोटर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण से प्रभावित होने वाली 9.053 है० वनभूमि के एवज में ग्राम चमतोली चक बांसवाड़ा, रा०उ०नि० क्षेत्र मोख तहसील घाट की ख०खा०सं०-4 के खसरा सं०-300 रकबा 0.688 है० भूमि मध्ये 0.641 है०, खसरा संख्या-319 रकबा 0.268 है० भूमि मध्ये 0.201 है, खसरा सं०-320 रकबा 0.162 है० भूमि मध्ये 0.141 है, खसरा सं०- 323 रकबा 0.703 है० कुल 1.686 है० भूमि, उक्त भूमि नॉन जेडए श्रेणी-9(3)ड, की है एवं ग्राम चमतोली चक बांसवाड़ा की ख०खा०सं०-17 के खसरा सं०-322 रकबा 1.016 है० भूमि मध्ये 0.478 है० भूमि वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण किया गया है। उक्त भूमि नॉन जेडए श्रेणी-10(4)ड, की है तथा उक्त भूमि पूर्व में अन्य योजनान्तर्गत अथवा वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत पूर्व में गठित प्रस्ताव में नहीं दिया गया है।

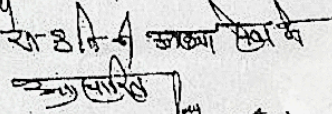
हरीश सिंह भण्डारी
रा० उ० नि० मोख
तहसील.....
जिला-चमोली

अधीक्षक
28/10/21
742(9)
28/10/21

प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि नन्दप्रयाग-घाट मोटर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण से प्रभावित होने वाली 9.053 है० वनभूमि के एवज में ग्राम जोखना, रा०उ०नि० क्षेत्र बूरा तहसील घाट की ख०खा०सं०-5 के खसरा सं०-807 रकबा 26.579 है० भूमि मध्ये 10.942 है० भूमि वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण किया गया है। उक्त भूमि नॉन जेडए श्रेणी-9(3)ड, की है तथा उक्त भूमि पूर्व में अन्य योजनान्तर्गत अथवा वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत पूर्व में गठित प्रस्ताव में नहीं दिया गया है।


रा० उ० नि०
तहसील घाट

मवेद्य
रा० उ० नि०

15.12.24
28/11/24